राजस्व वाद स. 144/2022
रामनिवास बनाम दयाचन्द
निर्णय दिनांक 18/8/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 144/2022 जी.एसी.एम.एस नम्बर :— 2022/445

रामनिवास पुत्र श्री रिछपाल उम्र 56 वर्ष जाति अहिर निवासी सांतौर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान

बनाम

1. दयाचन्द पुत्र श्री रिछपाल उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान
2. लैण्ड हॉल्डर एवं तहसीलदार भू. अभिलेख

दावा:— घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति —
1. श्री राजेश यादव , अधिवक्ता — वादी की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नाडिया ,अधिवक्ता— प्रतिवादी स.1 की ओर से ।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 18/8/22

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र पेश किया गया कि —

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) स्थित भूमि खसरा नं. 72 रकबा 20 बीघा 3 बीसवा का खातेदार रिछपाल पुत्र हुकम सिंह हिस्सा 1/2 एवं रामसिंह पुत्र श्री रामदयाल हिस्सा 1/2 के खातेदार थे इस भूमि में एक प्रचलित रास्ता बंदोबस्त से पूर्व था। लेकिन उसका रकबा अलग से दर्ज नही था।

2. यह कि बंदोबस्त विभाग ने गत खसरा नं. 72 के वर्तमान खसरा नं. 268 रकबा 1.16 हैक्टयर खसरा नं. 305 रकबा 1.42 हैक्टयर खसरा नं. 267 रकबा 2.55 हैक्टयर कायम किये गये हैं तथा जो प्रचलित रास्ता था उसका स्थाई रास्ता कायम करते हुए उसके खसरा नं. 300 रकबा 0.54 हैक्टयर कायम किये गये हालांकि ख.नं. 300 काफी लंबाई में है अर्थात गांव सांतौर से देवलावास को जोड़ने वाला रास्ता है जिसमें अन्य खेतों की भूमि भी शामिल कि गयी है इस प्रकार गत ख. नं. 72 से बन्दोबस्त ने नये खसरा नं. 267 ख.नं. 268 एवं ख. नं. 305 कायम किये बन्दोबस्त ने जो नक्शा बनाया इसमें रास्ता को मौके के अनुरूप सही नहीं दर्शाया है तथा उसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा [illegible] की कार्यवाही हुई तो उक्त नक्शा को कतई गलत बना दिया है जबकि ख. नं. [illegible] नं. 268 को अलग करने वाला [illegible] ख. नं. 305 का रकबा रास्ता पर अब पुख्ता सड़क बन चुकी है। मौके पर सड़क [illegible] हैक्टयर रकबा है जबकि राजस्व 1.12 हैक्टयर ही स्थित है तथा सड़क [illegible] है इस प्रकार मु[illegible] नक्शा रिकॉर्ड में खसरा नं. 268 रकबा 1.16 हैक्टयर दर्शाया [illegible] का रकबा 1.16 खसरा नं. 305 का रकबा 1.12 हैक्टयर ही मौके पर है जबकि खसरा नं. 268 [illegible] में जो 0.06 है. रकबा हैक्टयर की अपेक्षा 1.46 हैक्टयर मौके पर है तथा ख. नं. 305

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

गैरमुमकिन दर्शाया है वह मकान भी सड़क से उत्तर में ही है अर्थात नक्शा की आकृती में जहां ख. नं. 268 स्थित है प्रतिवादी संख्या 1 का वह मकान भी नक्शा के अनुसार सड़क से उत्तर में वर्तमान खसरा नं. 268 में ही है। इस प्रकार रास्ता से उत्तर में अर्थात खसरा नं. 268 मुताबिक नक्शा के 1.46 हैक्टयर रकबा क्षैत्रफल का है एवं मुताबिक नक्शा के मापने से बनने वाला क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नं. 305 का रकबा 1.12 है. ही बनता है इस प्रकार ख. नं. 305 व 268 का नक्शा गलत बना दिया गया है जमाबंदी में रकबा नक्शा के अनुसार दर्ज भी है एवं नक्शा का मिलान जमाबंदी में दर्ज रकबा से नहीं होता है जबकि मौके पर जो सड़क है वह खसरा नं. 305 के 1.12 हैक्टयर रकबा के बाद उत्तर में है सड़क (रास्ता खसरा नं. 300) से उत्तर में 1.46 हैक्टयर रकबा मौके पर मौजूद है लेकिन उसे खसरा नं. 268 रकबा 1.16 है. ही जमाबंदी में दर्ज किया गया है अर्थात खसरा नं. 305 का रकबा 1.12 हैक्टयर ही है खसरा नं. 268 का रकबा 1.46 हैक्टयर ही है इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज हैं प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि खसरा नं. 305 रकबा 1.42 हैक्टयर में 15/71 हिस्सा अर्थात 0.30 हैक्टयर रकबा है एवं वादी का 56/71 अर्थात 1.12 है. रकबा हिस्सा में है तथा खसरा नं. 268 रकबा 1.16 हैक्टयर संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है इस प्रकार खसरा नं. 305 खसरा नं. 268 किता 2 रकबा 2.58 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1.46 हैक्टयर रकबा हिस्सा में है वादी के पास 1.12 हैक्टयर रकबा हिस्सा में है। खसरा नं. 268 का मुताबिक नक्शा नपति करने पर 1.46 हैक्टयर रकबा बनता है जो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा कास्त में है लेकिन उक्त नक्शा के अनुसार जमाबंदी में रकबा दर्ज नहीं होने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा इसलिए वादी के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि ख. नं. 268 का मौके पर रकबा 1.46 हैक्टयर है नक्शा से नपति करने पर भी वह रकबा 1.46 हैक्टयर ही बनता है लेकिन जमाबंदी में खसरा नं. 268 का रकबा 1.16 हैक्टयर दर्ज है जबकि ख. 305 के नक्शा के अनुसार नपति करने पर रकबा 1.12 हैक्टयर बनता है जबकि रिकॉर्ड में खसरा नं. 305 का रकबा 1.42 हैक्टयर दर्ज है जो उसके नक्शा की आकृति से 0.30 हैक्टयर ज्यादा दर्ज है। अर्थात ख. 305 का रकबा 1.42 की अपेक्षा 1.12 हैक्टयर ही दर्ज किये जाने योग्य है तथा ख.नं. 268 का रकबा 1.46 हैक्टयर दर्ज किये जाने योग्य है इस प्रकार राजस्व कर्मचारीयों की भूल व गलती हुई है जो दुरस्त योग्य है। ख. नं. 268 का रकबा 1.16 की अपेक्षा 1.46 हैक्टयर घोषित किये जाने योग्य है एवं ख.नं. 305 का रकबा 1.42 हैक्टयर की अपेक्षा 1.12 हैक्टयर घोषित किये जाने योग्य है।

4. यह कि दावा के लिए आधार विवाद भूमि ख. नं. 268 का रकबा जमाबंदी में 1.16 ही दर्ज होने एवं मौके पर मुताबिक नक्शा के 1.46 हैक्टयर होने तथा ख.नं. 305 का जमाबंदी में रकबा 1.42 है. दर्ज होने व मुताबिक नक्शा मौके पर 1.12 हैक्टयर होने एवं राजस्व कर्मचारीयों द्वारा एवं बंन्दोबस्त विभाग द्वारा यह गलती करने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्तर मियाद है।

5. यह कि वाद–पत्र में दर्ज भूमि ग्राम देवलावास में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के [illegible] श्रीमान जी को प्राप्त क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त वाद–पत्र सुनने का [illegible] है।

6. यह कि वाद–दावा घोषणात्मक के लिए 1/– रूपये कोर्ट फिस एवं दावा रिकॉर्ड दुरस्ती के 1/– रूपये कोर्ट फिस पर नियत है इस प्रकार दावा कुल 2/– [illegible] कोर्ट फिस पर श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारक होने से उसे वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद स. 144/2022
रामनिवास बनाम दयाचन्द
निर्णय दिनांक 18.8.22

8. यह कि दावा में वाद वर्णित भूमि का अपडेट रिकॉर्ड दिया गया है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र संलग्न वाद–पत्र है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि

(क) वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) स्थित भूमि ख.नं. 305 का रकबा 1.42 हैक्टयर की अपेक्षा 1.12 हैक्टयर घोषित कर ख़सरा नं. 268 का रकबा 1.16 हैक्टयर की अपेक्षा 1.46 हैक्टयर घोषित कर जिसमें 0.06 हैक्टयर गैर–मुमकिन व शेष 1.42 हैक्टयर बारानी द्वितीय दर्ज कर भूमि ख.नं. 305 रकबा 1.12 हैक्टयर का खातेदार वादी को एवं ख.नं. 268 रकबा 1.46 हैक्टयर का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने की कृपा करें।

(ख) यह कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कोई अन्य अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया है जिसका वाजिब हकदार हो वादी को दिलवाये जाने की कृपा करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र नाड़िया अधिवक्ता जिन्होने ईकबाली जवाब पेश किया एवं वादी के दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया । दोनो पक्षो के द्वारा दी गई सहमति एवं रिकॉर्ड के अवलोकन से दावा डिक्री योग्य हैं।

— :: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) स्थित भूमि ख.नं. 305 का रकबा 1.42 हैक्टयर की अपेक्षा 1.12 हैक्टर घोषित कर खसरा नं. 268 का रकबा 1.16 हैक्टयर की अपेक्षा 1.46 हैक्टयर घोषित कर जिसमें 0.06 हैक्टयर गैर–मुमकिन व शेष 1.42 हैक्टयर बारानी द्वितीय दर्ज कर भूमि ख.नं. 305 रकबा 1.12 हैक्टयर का खातेदार वादी को एवं ख.नं. 268 रकबा 1.46 हैक्टयर का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हों।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 18.8.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 144/2022 जी.एसी.एम.एस नम्बर :– 2022/445

रामनिवास पुत्र श्री रिछपाल उम्र 56 वर्ष जाति अहिर निवासी सांतौर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान

बनाम

1. दयाचन्द पुत्र श्री रिछपाल उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान
2. लैण्ड हॉल्डर एवं तहसीलदार भू. अभिलेख।

दावाः– घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **सुरेन्द्र नाड़िया,** अधिवक्ता प्रति. सं. 1 की ओर से । की उपस्थित इस वाद में आज तारीख 18.8.22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) स्थित भूमि ख.नं. 305 का रकबा 1.42 हैक्टयर की अपेक्षा 1.12 हैक्टर घोषित कर खसरा नं. 268 का रकबा 1.16 हैक्टयर की अपेक्षा 1.46 हैक्टयर घोषित कर जिसमें 0.06 हैक्टयर गैर–मुमकिन व शेष 1.42 हैक्टयर बारानी द्वितीय दर्ज कर भूमि ख.नं. 305 रकबा 1.12 हैक्टयर का खातेदार वादी को एवं ख.नं. 268 रकबा 1.46 हैक्टयर का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.8.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:08 IST
Reason: SelfAttested